

## फॉर्म एल-32-शोधक सीमांत - केटी 3

(विनियमन 4 देखें)

बीमा विनियमन एवं (बीमांकन रिपोर्ट तथा सार) विनियमन, 2016.

## उपलब्ध शोधक सीमांत तथा शोधक अनुपात

30 सितम्बर 2019

बीमाकर्ता का नाम:	भारतीय जीवन बीमा निगम	पंजीयन संख्या:	512	फॉर्म कोड:	015
वर्गीकरण:	भारत में व्यवसाय	वर्गीकरण कोड:	1		

मद	विवरण	समायोजित मान [रकम (₹ लाख में)]	
		30.09.2019	30.09.2018
01	पॉलिसीधारक फ़ंड में उपलब्ध परिसंपत्ति :	301,037,407	272,262,156
	घटाव:		
02	गणितीय संचिति	286,549,566	259,478,794
03	अन्य देयतायें	9,744	15,019
04	<b>पॉलिसीधारक फ़ंड में अधिकता</b>	14,478,096	12,768,343
05	शेयरधारक फ़ंड में उपलब्ध परिसंपत्ति :	10,000	10,000
	घटाव:		
06	शेयरधारक फ़ंड की अन्य देयतायें	0	0
07	<b>शेयरधारक फ़ंड में अधिकता</b>	10,000	10,000
08	कुल उ.शा.सी. (04)+(07)	14,488,096	12,778,343
09	कुल अ.शा.सी.	9,323,395	8,464,167
10	<b>शोधक अनुपात (उ.शा.सी/अ.शा.सी.)</b>	1.55	1.51

प्रमाणीकरण:

मैं, \_\_\_\_\_, नियुक्त बीमांकक, प्रमाणित करता हूँ की उपरोक्त विवरण बीमा अधिनियम, 1938 के धारा 64Vए के अनुसार तैयार किया गया है, तथा इनमें उल्लेखित रकम, जहाँ तक मुझे ज्ञात है, के अनुसार सत्य एवं सही है।

स्थान: \_\_\_\_\_  
दिनांक: \_\_\_\_\_

नियुक्त बीमांकक का नाम तथा हस्ताक्षर

\_\_\_\_\_

नोट:

- मद सं. 01 में बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (परिसंपत्तियाँ, देयताएं तथा बीमाकर्ताओ का शोधक सीमांत) विनियमन, 2016 के अनुसूची 1 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट फॉर्म ईरडा-असेट्स-एए में उल्लेखित परिसंपत्तियों का समायोजित मान का रकम होगा।
- मद सं. 02 में फॉर्म - एच में उल्लेखित गणितीय संचिति की रकम होगी।
- मद सं. 03 तथा 06 में तुलन पत्र में उल्लेखित अन्य देयताएं की रकम होगी।
- मद सं. 05 में बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (परिसंपत्तियाँ, देयताएं तथा बीमाकर्ताओ का शोधक सीमांत) विनियमन, 2016 के अनुसूची 1 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट फॉर्म ईरडा-असेट्स-एए में उल्लेखित कुल परिसंपत्तियों की रकम होगी।